26/2/2021 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण रिकॉर्ड दुरूस्ती का है। प्रकरण में प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम मोरड़ूंगा तहसील धोद के खसरा सं. 155 रकबा 0.1500 हेक्टेयर, खसरा सं. 156 रकबा 0.4900 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6400 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रेमा पुत्र शिवभगवान अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम परमानन्द पुत्र शिवभगवान है। प्रार्थी के आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण–पत्र, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम परमानन्द पुत्र शिवभगवान अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम प्रेमा पुत्र शिवभगवान के स्थान पर परमानन्द शर्मा पुत्र शिवभगवान दुरूस्त किया जावें।

तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "प्रार्थी का नाम प्रेमा पुत्र शिवभगवान के स्थान पर परमानन्द शर्मा पुत्र शिवभगवान किये जाने की अनुशंषा की जाती है।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मोरड़ूंगा तहसील धोद के खसरा सं. 155 रकबा 0.1500 हेक्टेयर, खसरा सं. 156 रकबा 0.4900 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6400 हेक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रेमा पुत्र शिवभगवान के स्थान पर परमानन्द शर्मा पुत्र शिवभगवान दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.02 10:20:40 IST
Reason: SelfAttested